

कार्यालय- अधिष्ठाता छात्र कल्याण
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

पत्रांक: सीएसयूडब्लू- 766 /2026

दिनांक: 08 सितम्बर, 2026

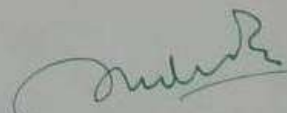
कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय में संचालित समस्त मेंस संचालकों को आदेशित किया जाता है कि आपकी मेंस में भोजन खा रहे समस्त छात्र-छात्राओं जिन्होंने सामूहिक दुर्घटना बीमा एवं मेडीक्लेम नहीं कराया है। यदि वह प्रीमियम धनराशि रु0 675.00 दिनांक 20.09.2026 तक जमा नहीं करते तो उनका भोजन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें। साथ ही साथ उनका छात्रावास आवंटन भी रद्द कर दिया जायेगा तथा बिना प्रीमियम जमा की रसीद देखे छात्रावास आवंटित नहीं किया जायेगा।

प्रीमियम धनराशि रु0 675.00 जमा करते समय डिस्कप्शन में अपना नाम एवं आई0डी0 न0 अंकित कर ट्रान्जेक्शन की फोटो प्रिंट अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में अवश्य जमा करें।

इसके उपरान्त संलग्न (Insurance Registration Form) QR code के माध्यम से अपनी डिटेल भी अवश्य भरें।

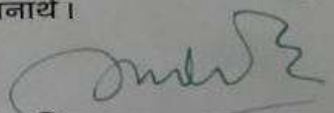
Payment QR	Insurance Registration Form
DEAN STUDENT WELFARE SCAN & PAY  UPI ID: dswcsau@sbi	


अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:-

1. समस्त वार्डेन एवं सहायक वार्डेन को इस आशय से कि छात्रावासों में अधिवासित समस्त छात्रों का शत-प्रतिशत दुर्घटना बीमा एवं मेडीक्लेम कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें, कि यदि कोई छात्र/छात्रा दुर्घटना बीमा एवं मेडीक्लेम बिना करवाये छात्रावास में अधिवासित है, तो अधोहस्ताक्षरी को सूचित करते हुए तत्काल सम्बन्धित छात्र/छात्रा का छात्रावास आवंटन निरस्त कर दें तथा बिना प्रीमियम जमा की रसीद देखे छात्र/छात्राओं को छात्रावास आवंटित न करें।
2. समस्त मेंस संचालक।
3. प्रभारी, ए0के0एम0यू0 को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. कुलपति के तकनीकी सचिव को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।


अधिष्ठाता, छात्र कल्याण